सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 16, गुरुवार, शाके 1937–अक्टूबर 8, 2015
Asvina 16, Thursday, Saka 1937-October 8, 2015

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, अक्टूबर 8, 2015

संख्या प. 2 (28) विधि/2/2015:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2015
(2015 का अधिनियम संख्यांक 27)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 60 का संशोधन.- राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम सं. 14) जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 60 में विद्यमान अभिव्यक्ति "मत्त या बलवा करते हुए पाया जाना - छठवां - कोई व्यक्ति, जो मत्त या बलवा करते हुए पाया जाये या जो स्वयं की

देखरेख करने में असमर्थ हो;" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बलवा करते हुए पाया जाना - छठवां - कोई व्यक्ति, जो बलवा करते हुए पाया जाये;" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. **2007 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 में नयी धारा 60-क का अंत:स्थापन.-** मूल अधिनियम की इस प्रकार संशोधित धारा 60 के पश्चात् और विद्यमान धारा 61 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"**60-क. मत्त पाये जाने के लिए दण्ड.-** कोई व्यक्ति, जो किसी भी ऐसे कस्बे, जिस पर राज्य सरकार द्वारा इस धारा का प्रसार विशेष रूप से किया जाये, की सीमाओं के भीतर किसी भी सड़क या खुले स्थान पर या मार्ग या आमरास्ते में मत्त पाया जाये और स्वयं की देखरेख करने में इतना असमर्थ हो कि निवासियों या यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान हो तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, प्रथम अपराध के लिए पांच सौ रुपये से अनधिक के जुर्माने का, पश्चात्वर्ती दो अपराधों के लिए पांच हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने का और तीसरे अपराध के लिए दोषसिद्धि के बाद प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दस हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने का, या आठ दिवस से अनधिक के कठोर श्रम सहित या रहित कारावास का भागी होगा; और किसी पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को वारण्ट के बिना अभिरक्षा में लेना विधिपूर्ण होगा जिसने उसकी राय में ऐसा अपराध कारित किया हो।"।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 8, 2015

No. F. 2 (28) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Police (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 27):-

(Authorised English Translation)
THE RAJASTHAN POLICE (AMENDMENT) ACT, 2015
(Act No. 27 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 7th day of October, 2015]

An

Act

to amend the Rajasthan Police Act, 2007.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Police (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 60, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- In section 60 of the Rajasthan Police Act, 2007 (Act No. 14 of 2007), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "Being found drunk or riotous–Sixth–Any person who is found drunk or riotous or who is incapable of taking care of himself;", the expression "Being found riotous–Sixth–Any person who is found riotous;" shall be substituted.

3. Insertion of new section 60-A, Rajasthan Act No. 14 of 2007.- After the section 60 so amended and before the existing

section 61 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**60-A. Punishment for being found drunk.-** Any person who, on any road or in any open place or street or thoroughfare within the limits of any town to which this section shall be specially extended by the State Government, is found drunk and incapable of taking care of himself to the obstruction, inconvenience, annoyance, risk, danger or damage to the residents or passengers shall, on conviction before a Magistrate, be liable to a fine not exceeding five hundred rupees for the first offence, a fine not exceeding five thousand rupees for the subsequent two offences and a fine not exceeding ten thousand rupees for every subsequent offence after conviction of third offence, or to imprisonment with or without hard labour not exceeding eight days; and it shall be lawful for any police officer to take into custody, without a warrant, any person who within his view commits such offence.".

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

4

Government Central Press Jaipur.